आज़ादी का अमृत महोत्सव

# राजस्थान सरकार
## वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.5(3)वित्त/बीमा/2022 जयपुर दिनांक 01 JUL 2022

## आज्ञा

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022–23 की बजट घोषणा संख्या 09 के अन्तर्गत **मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (MCDBY)** प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को सड़क दुर्घटना, ऊँचाई से गिरने, मकान के ढ़हने, बिजली के झटके, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव, डूबने एवं जलने के कारण हुई मृत्यु/क्षति की स्थिति में 5 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा कवर (मृत्यु की स्थिति में 5 लाख रूपये, हाथ–पैर–आँख में से दो अंगों की पूर्ण स्थायी क्षति पर 3 लाख रू. तथा एक अंग की पूर्ण स्थायी क्षति पर 1.5 लाख रूपये) दिये जाने का प्रावधान है।

वर्तमान में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) में पंजीकृत परिवारों को **दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध नहीं है,** जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (MCDBY) का दायरा व्यापक करते हुए राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) में पंजीकृत सभी परिवारों को भी उक्त दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

इसके अन्तर्गतः

1. राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) की **सभी श्रेणी के** पंजीकृत परिवारों को 5 लाख रूपये तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जायेगा।
2. राज्य सरकार एवं बोर्ड निगम आदि समस्त राज्य स्वायत्तशाषी निकायों के ऐसे कार्मिकों, जिनके द्वारा साधारण बीमा निधि की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रूपये से अधिक के बीमाधन का विकल्प लिया गया है, के परिवारों को भी 5 लाख रूपये का निःशुल्क बीमा कवर उपलब्ध कराया जायेगा, साथ ही कार्मिक द्वारा विकल्प के तौर पर चयनित अधिक बीमाधन का कवरेज यथावत रहेगा।
3. किसी भी स्थिति में एक परिवार को निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर 5 लाख रूपये से अधिक देय नहीं होगा।
4. राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) में पंजीकृत समस्त परिवारों के लिए उक्त दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले दावों की राशि का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

01/7/2022

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय,राजस्थान।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय/राज्य मंत्री महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. निदेशक (सांख्यिकी) मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
13. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर अनुभाग)
14. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

01/3/2022

संयुक्त शासन सचिव